न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 1708/2016

उनवान

1– मन्जूदेवी पुत्री रुघनाथ कलाल पत्नि हगामीलाल मेवाडा , निवासी खारी का लाम्बा तहसील हुरडा ।

–वादीया

बनाम

1– लालचन्द पिता रुघनाथ कलाल, निवासी खारी का लाम्बा, तह. हुरडा।
2– भॅवरलाल पिता रुघनाथ कलाल, निवासी खारी का लाम्बा, तह.हुरडा।
3– श्रीमति सुगनी पत्नि रुघनाथ कलाल, नि. खारी का लाम्बा, तह.हुरडा।
4– श्रीमति निर्मला पत्नि सम्पतराज लुणावत जैन निवासी महावीर बाजार बिजयनगर , तहसील बिजयनगर ।
5– श्रीमति लाडदेवी पत्नि हरिप्रसाद छिपा, निवासी देवलिया तह. भिनाय
6– श्रीमति चन्द्रकान्ता पत्नि अशौक नाबेडा, नि. बिजयनगर, तह.बिजयनगर
7– श्रीमति सुनीता पत्नि सज्जन पोखरणा, नि. अजमेर जिला–अजमेर ।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री राजेश कुमार मेहता वकील वादी ।
श्री धमेन्द्र आमेटा वकील प्रतिवादी 1 से3

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:निर्णयः–

दिनांक– 21.06.2018

1– वादीया के द्वारा से यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम लाम्बा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 1111, 1112, 1408, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646 किता 10 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा आराजी स्थित है जो वादीया के दादा श्री प्रताप पिता ज्वारा कलाल के नाम दर्ज थी ।

2 खातेदार प्रताप पिता ज्वारा से पूर्व ही उसके पुत्र रुघनाथ की मृत्यु हो जाने से विरासत के आधार पर खाता लालचन्द, भॅवरलाल पिता रुघनाथ व सुगनी पत्नि रुघनाथ व वादीया के मन्जूदेवी के नाम पर दर्ज होना चाहिये था मगर वादीया के पोसिदा तौर उसे छिपाते हुये प्रतिवादी नम्बर– 1 से 3 ने अपने नाम दर्ज करवा ली जिसका इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 में दर्ज है ।

3– प्रतिवादी नम्बर–1 से 3 ने विवादित आराजी में से आराजी नम्बर– 1111 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा व 1112 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

किता 2 रकबा 05 बीघा को बजरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र तादादी 4,90,000/– में दिनांक 01.07.2011 को प्रतिवादी नम्बर– 3 से 7 को विकय कर दी जो वादीया के हक हिस्से तक शून्य प्रभावी है ।

4– इसके बाद खातेदार श्रीमति सुगनी ने उनके पुत्र लालचन्द व भँवरलाल के हक में अपना हक हिस्सा त्याग दिया जिससे अब विवादित आराजीयात किता 10 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा हाल जमाबन्दी सम्वत् 2069 में 2072 में लालचन्द व भँवर लाल के नाम पर दर्ज है ।

5– प्रतिवादी नम्बर– 1 से 3 द्वारा प्रतिवादी नम्बर– 4 से 7 के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड विकय पत्र को वादीया के हक तक शून्य प्रभावी घोषित करते हुये विवादित आराजीयात में प्रतिवादी नम्बर– 1 व 2 के साथ अपना नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने की घोषणात्मक डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है ।

6– प्रतिवादीगण अपने खाते के बल पर वादीया के हक हिस्से की आराजीयात में नाजायज तौर हस्तक्षेप करते है व उक्त आराजीयात को दिगर को विकय / अन्तरण एवं उसका पंजीयन करने कराने पर उतारु है तथा बावजूद तकाजा उक्त आराजी में वादीया का हक हिस्सा दर्ज कराने से इन्कार है और यह रवैया उसके दिनांक 05.04.2016 से जारी कर रखा है जो कृत्य उनका अवैध व नाजायज होने से इससे रुके रहने बाबत उनको बजरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाना आवश्यक होकर न्यायहित में है वरना वादीया को ऐसी असहनीय क्षति का सामना करना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति असंभव है ।

7– वादीगण को बिनाय मुखास्मत दावा दिनांक 05.04.2016 से उपर वर्णित कारणों से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है ।

8– अन्त में अंकित किया कि प्रतिवादी नम्बर– 1 से 3 के द्वारा प्रतिवादी नम्बर– 4 से 7 के हक में किये गये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 01.07.2011 को वादीया के हक हिस्से को शून्य प्रभावी घोषित किये जाने की डिकी बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें । वादीया वादपत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी नम्बर– 1 व 2 के साथ साथ अपना नाम खातेदारी हक से दर्ज कराये जाने की घोषणात्मक डिकी बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें। बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस अमर की जारी फरमाई जावे कि वो वादीया के हक हिस्से की आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने कराने व उक्त आराजी को दिगर को विकय / अन्तरण एवं उसका पंजीयन करने कराने से रुके रहे । यदि दौराने कार्यवाही मुकदमा प्रतिवादीगण इसमें सफल हो जावे तो उसके खर्चे से पुनः आज की स्थिति रेस्टोर फरमाई जावें ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

9 प्रस्तुत वाद पत्र वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 की और से उनके अधिवक्ता ने दिनांक 10.04.2017 को तथा प्रतिवादी संख्या– 04 से 07 की और से दिनांक 26.09.2017 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया ।

10 तत्पश्चात प्रकरण आज केम्प कोर्ट लाम्बा पर प्रस्तुत हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये। वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 की पुश्तैनी आराजीयात है जो उनके मौरुस प्रताप पिता ज्वारा के खातेदारी की आराजीयात है । खातेदार प्रताप की मृत्यु से पूर्व ही वादीगण के पिता रुघनाथ की मृत्यु हो जाने से वादग्रस्त आराजीयात का विरासत से नामान्तकरण वादीया व प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 के नाम समाना हक हिस्से से खुलना चाहिये था । किन्तु प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 ने वादीया को छिपाते हुये वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली । उसके बाद प्रतिवादी नम्बर– 1 से 3 ने विवादित आराजीयात में से आराजी नम्बर– 1111, 1112 किता 2 रकबा 05 बीघा भूमि को रजिस्टर्ड विकय पत्र से प्रतिवादी संख्या– 04 से 07 को विकय कर दी । उक्त विकय पत्र वादीया के हक हिस्से पर शून्य प्रभावी है । अन्त में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात वादीया की पुश्तैनी आराजीयात होने से प्रतिवादी संख्या–1 से 3 के द्वारा प्रतिवादी संख्या– 4 से 7 हक में किये गये रजिस्टर्ड विकय पत्र को वादीया के हक हिस्से पर शून्य प्रभावी घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के साथ खातेदार घोषित फरमाया जावें ।

11 जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि आराजी मुतदाविया खातेदार प्रताप से प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 के नाम विरासत से दर्ज हुई है जिसमें वादीया का कोई हक हिस्सा नही है और न ही उक्त आराजीयात पर वादीया का कभी कोई कब्जे काश्त रहा है । प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 ने विवादित आराजीयात में से 05 बीघा भूमि को प्रतिवादी संख्या– 4 से 7 को रजिस्टर्ड विकय पत्र से बेचान कर दी गई है । न्यायालय प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 के द्वारा प्रतिवादी संख्या– 4 से 7 को विकय की गई भूमि को कम करते हुये , यदि वादीया को खातेदार घोषित किया जाता है तो हमें कोई आपति नही है। इस पर वकील वादी के द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई ।

12 मैनें वकील उभयपक्ष की बहस को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन किया । विवेचन निम्नप्रकार से रहा है --

13 पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2053–2056 मौजा लाम्बा तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 1111, 1112, 1408, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646 किता 10 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि प्रताप पिता ज्वारा कलाल साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड होना तथा विरासत से जरिये नामान्तकरण

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

संख्या– 1318 दिनांक 30.06.1997 से लालचन्द्र, भँवरलाल, पिता रघूनाथ , सुगनी बेवा रुघनाथ कलाल के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

14 पत्रावली पर उपलब्ध हाल राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2065–2068 मौजा लाम्बा के अनुसार वादग्रस्त आराजी किता 10 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि लालचन्द्र, भँवरलाल पिता रघूनाथ , सुगनी बेवा रघूनाथ कलाल, के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा नामान्तकरण संख्या– 2659 दिनांक 05.09.2011 विक्रय से आराजी नम्बर– 1111 में से रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा आराजी नम्बर– 1112 में से रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा कुल 05 बीघा भूमि निर्मला कुमारी पत्नि सम्पतराज लुणावत साकिन बिजयनगर लाडदेवी पत्नि हरिप्रसाद छीपा साकिन देवलिया कलां, चन्द्रकान्ता पत्नि अशोक नाबेडा साकिन बिजयनगर , सुनिता पत्नि सज्जन पोखरणा निवासी अजमेर के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । तथा यदि नामान्तकरण संख्या– 2805 हक त्याग से सुगनी बेवा रघूनाथ के बजाय लालचन्द्र भँवरलाल पिता रघूनाथ का नाम दर्ज होना भी प्रकट हुआ है ।

15 यहाँ यह तो निर्विवाद है कि वादग्रस्त आराजीयात प्रताप पिता ज्वारा कलाल के खातेदारी की भूमि है, जो विरासत से उसके पौत्र व पुत्रवधू प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 के नाम दर्ज हुई है। जबकि वादीया भी मृतक खातेदार प्रताप की पोत्री है । उसका भी वादग्रस्त आराजीयात में विरासती हक हिस्सा निहित है । पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व जमाबन्दी के अनुसार मृतक खातेदार प्रताप की विरासत का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 के नाम दर्ज हो जाने से उनके द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में से 05 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या– 4 से 7 को बेचान कर दी गई । यहाँ वादी व प्रतिवादीगण इस बात से सहमत है कि प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 के द्वारा प्रतिवादी संख्या– 4 से 7 को विक्रय की गई 05 बीघा भूमि उनके हक हिस्से में कम की जाकर शेष भूमि में वादीया को खातेदार घोषित करवाया जावें । चूँकि वादग्रस्त आराजीयात कुल 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि है जिसमें वादीया व प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 का समान हक हिस्सा अर्थात् 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि हक हिस्से में आती है । इसमें से प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 ने अपने हक हिस्से की आराजी अर्थात् 16 बीघा 04 बिस्वा भूमि में से 05 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या– 4 से 7 को विक्रय कर दी । तथा प्रतिवादी संख्या– 03 के द्वारा अपना हक त्याग प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के पक्ष में किये जाने से कुलिया आराजीयात में प्रतिवादी संख्या–1 व 2 का 11 बीघा 06 बिस्वा के प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 हकदार रहे है । ऐसी स्थिति में वादीया 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि के लिये हक घोषणा करवानें की अधिकारी पाई जाती है ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

–:: निर्णय ::–

दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा लाम्बा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 1111/1, 1112/1, 1408, 1640, 1641, 1642,

Scanned by CamScanner

1643, 1644, 1645, 1646 किता 10 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा में से वादीया को 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि के लिये खातेदार घोषित किया जाता है। शेष बदस्तूर रहें । तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें । निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट लाम्बा पर सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner